10/-

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक ...../2006–07
प्रस्तुती दिनांक : 6 –12–2006

श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजेश पिता श्री महेश तिवारी,
आयु–38 वर्ष, धंधा–व्यापार व कृषि
निवासी–ग्राम सनावदिया तहसील व जिला इन्दौर .....प्रार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा खनिज अधिकारी महोदय,
कार्यालय मोती तबेला, कलेक्टोरेट, इन्दौर .....प्रतिप्रार्थी

पुनर्विलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959

इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 885–पी.बी.आर/01 में दिनांक 19–12–03 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह पुनर्विलोकन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 19–12–2003 को आदेश पारित किया गया था, किन्तु उसकी कोई सूचना प्रार्थी को प्राप्त हुई नहीं। तत्पश्चात् वसूली की कार्यवाही जब प्रारंभ की गई तब प्रार्थी को जनवरी 2006 में आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थी ने उसकी नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र राजस्व मंण्डल मुख्यालय पर भेजा जो नकल अपीलार्थी को अभी आठ रोज पूर्व प्राप्त हुई हैं इस कारण नकल प्राप्त होते ही यह पुनर्विलोकन आवेदन आदेश की जानकारी होने पर नियत समयावधि में प्रस्तुत है।

अपील के आधार

(1) यह कि, प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि, अपर कलेक्टर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (राजेश/शासन)

प्रकरण कमांक पुनर्विलोकन 2325–एक/06 जिला [redacted] इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–1–2016	आवेदक पूर्व से सूचना उपरांत अनुपस्थित है। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन में उठाये गये ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 19–12–2003 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	